पचासवाँ अंक, जून 2018

अर्थ

वित्तीय प्रबंधन का विकासपरक
त्रैमासिक न्यूज लेटर

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ. प्र. लखनऊ
24/3–4, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016, दूरभाष संख्या : 0522–2345210,
पी.बी.एक्स.: 2345176, 2346314, फैक्स : 0522–2349446, ईमेल : ifmtr@nic.in

सम्पादकीय

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक समाचार पत्रक 'अर्थ' का पचासवाँ अंक सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। यह पत्रक जहाँ एक ओर संस्थान की बहुआयामी गतिविधियों एवं कार्यकलापों को समाविष्ट करने वाला महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रशासन के क्षेत्र में होने वाली प्रगति तथा शासन द्वारा इस विषय में लिये गये निर्णयों और निर्गत आदेशों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का एक सुगम माध्यम भी है।

'अर्थ' के प्रस्तुत अंक में वैयक्तिक लेखा खातों में धनराशि न रखा जाना, प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का अवकाश वेतन पैतृक विभाग से आहरित न किया जाना, ई–टेण्डर प्रणाली, जेम पोर्टल, वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का संशोधन, जी0पी0एफ0 ब्याज दर, सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति आदि विषयों पर निर्गत नवीन शासनादेशों का सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है।

'अर्थ' के इस अंक के प्रकाशन में अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त श्री संजीव मित्तल से प्राप्त प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के लिए मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही पत्रक के प्रकाशन में संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ।

13-8-18
(अखिलेश कुमार)
निदेशक एवं सम्पादक

संरक्षक
श्री संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव वित्त
एवं वित्त आयुक्त
*
मुख्य सम्पादक
श्री अखिलेश कुमार
निदेशक
*
सम्पादक मण्डल
श्री रमा शंकर शुक्ल
संयुक्त निदेशक
श्री आर0एल0 त्रिपाठी
संयुक्त निदेशक
श्रीमती तूलिका नाथ
उप निदेशक
श्री अखिलेश चन्द्र मौर्य
उप निदेशक
श्री वाई0एल0 दीक्षित
उप निदेशक
श्री मानवेन्द्र सिंह
सहायक निदेशक
श्री पंकज कु. मद्धेशिया
सहायक निदेशक
श्री राधेश्याम
सहायक निदेशक
श्री सन्दीप कुमार गुप्ता
सहायक निदेशक
प्रकाशक
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं

वैयक्तिक लेखा खातों में धनराशि न रखे जाने विषयक, शासनादेश संख्या–7/2018/ए–1–08 ए0जी0/दस–2018–10(50)/2011, दिनांक 14 मार्च, 2018

विभागों द्वारा राज्य की समेकित निधि से धनराशियाँ आहरित कर वैयक्तिक लेखा खाते में जमा कर दी जाती हैं जो अनेक वर्षों तक निष्प्रयोज्य पड़ी रहती हैं। उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी धनराशि यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो जानी चाहिए। यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद–202 व उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के नियम–138–146 में दी गयी व्यवस्था के प्रतिकूल है एवं इससे राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समेकित निधि से धनराशियों को निकाल कर वैयक्तिक लेखा खाते में रखे जाने एवं कई वर्षों तक अप्रयुक्त रहने पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा भी आपत्ति व्यक्त की गयी है। उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रश्नगत शासनादेश द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :–

(1) राज्य के संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में रखे जाने की व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय।

(2) वर्तमान में पी0एल0ए0 खाते में जो धनराशियाँ अवशेष पड़ी हैं, प्रशा0विभाग आवश्यकता एवं औचित्य पाये जाने पर उनका उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केवल दिनांक 31–03–2018 तक ही कर पायेंगे।

(3) दिनांक 01–04–2018 को पी0एल0ए0 में अवशेष समस्त धनराशियों , जिनका आहरण नहीं किया जा सकेगा, को वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–01/2018/ए–1–53ए0जी0/दस–2017–10(50)/2011, दिनांक 04 जनवरी, 2018 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत जमा करने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) दिनांक 01–04–2018 के पश्चात् विभागों द्वारा पी0एल0ए0 में अवशेष

शोध संस्थान, उ0प्र0
24/3–4, इन्दिरा नगर
लखनऊ–226016
फोन : 0522–2345210
Email : ifmtr@nic.in

धनराशियों का आहरण नहीं किया जा सकेगा।

(5) विधायक निधि एवं विधि के अन्तर्गत किसी अधिनियम/नियम द्वारा स्थापित निधि पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों का अवकाश वेतन पैतृक विभाग से आहरित न किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–01/2018/जी0–1–41/दस–2018–201–2001, दिनांक 09.04.2018

निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2017–18/12630, दिनंका 13–03–2018 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि मिशन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश लिए जाने पर वर्तमान सेवा शर्तों के अनुसार उनका मूल वेतन पैतृक विभाग से आहरित किये जाने के कारण प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वरा अनुभूत कठिनाई के दृष्टिगत निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतन का भुगतान प्रतिनियुक्ति विभाग से ही किये जाने हेतु शासनादेश में अपेक्षित संशोधन हेतु किये गये अनुरोध का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत शासनादेश द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय संस्थाओं में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की स्थिति में शासनादेश संख्या–जी–1–885/दस–2006–534(II)–93, दिनांक 09–11–2006 द्वारा सम्बन्धित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश वेतन वाह्य सेवायोजक द्वारा ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है। जो संस्थायें उक्त शासनादेश से आच्छादित नहीं हैं, उनमें वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतन के भुगतान में होने वाली कठिनाई का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत शासनादेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त वाह्य सेवा पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपभोग किये गये अवकाश के लिए नियमानुसार देय अवकाश वेतन का भुगतान वाह्य सेवा योजक द्वारा किया जायेगा परन्तु जिस संस्था में सरकारी सेवक वाह्य सेवा पर तैनात है उसके द्वारा यदि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते अवकाश वेतन भुगतान की असमर्थता व्यक्त की जाती है तो अवकाश वेतन का भुगतान सम्बन्धित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जायेगा।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे एवं शासनादेश संख्या–जी–1–260/दस–2001–201–2001, दिनांक 05.05.2001 के प्रस्तर–12 के अनुसार जो सेवा शर्तें निर्गत हो चुकी हैं उनको भी इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदायें आमंत्रित कर सफल निविदादाता को क्रयादेश निर्गत करने के उपरान्त क्रयादेश/कार्यादेश (Award of contract) की प्रतिलिपि ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किये जाने तथा निविदा–प्रपत्र में चेक लिस्ट सम्मिलित किए जाने विषयक शासनादेश संख्या–5/2018/148/78–2–2018–42 आई.टी./2017, दिनांक 13.03.2018

उत्तर प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में सभी निर्माण कार्यों सेवाओं आदि के लिए ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली को बाध्यकारी कर दिया गया है। ई–टेण्डर पोर्टल के विश्लेषण में प्रायः यह देखा जा रहा है कि टेण्डर आमंत्रित करने वाले संस्थाओ/कार्यालयों द्वारा निविदा प्रक्रिया अन्तिमीकृत करने के उपरान्त सफल निविदादाता को निर्गत क्रयादेश/कार्यादेश (Award of contract) की प्रतिलिप ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रही है, जिसके कारण निविदा अपूर्ण दिखाई देती हैं एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः प्रश्नगत शासनादेश द्वारा निर्देश दिया गया है कि टेण्डर आमंत्रित करने वाले संस्थाओं/कार्यालयों द्वारा निविदा प्रक्रिया अन्तिमीकृत करने के उपरान्त सफल निविदादाता को निर्गत क्रयादेश/कार्यादेश (Award of contract) की प्रतिलिपि तत्काल सम्बन्धित टेण्डर के सापेक्ष अवश्य अपलोड कर दी जाये, जिससे उस टेण्डर से सम्बन्धित समस्त विवरण ई–टेण्डर पर उपलब्ध रहें तथा टेण्डर्स में प्राप्त दरों, कराये जाने वाले कार्यों, समय–अवधि इत्यादि विवरण को देखा जा सके। साथ ही शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि द्वारा ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं में प्रायः अभिलेखों/आवश्यकताओं/मूल्यांकन मानकों से सम्बन्धित कोई चेक–लिस्ट न रखे जाने तथा प्राप्त निविदाओं का परीक्षण चेक लिस्ट के आधार पर न करके सरसरी आधार पर किये जाने के दृष्टिगत यह भी निर्देश दिया गया है कि प्राप्त निविदाओं को सामान्यतः जिन अनिवार्य अभिलेखों/आवश्यकताओं/बिन्दुओं तथा मूल्यांकन मानकों के आधार पर अमान्य किया जा सकता है, उनसे सम्बन्धित 'चेक–लिस्ट' को टेण्डर आमंत्रित करने वाली क्रय–समितियों द्वारा अपनी ई–निविदाओं में अनिवार्य रूप से समाविष्ट किया जाये। चेक लिस्ट बनाये जाने के लिए कतिपय टेम्पलेट इस पत्र के साथ अनुलग्नक–1,2,3 एवं 4 पर उपलब्ध हैं तथा क्रय–समितियों द्वारा इन टेम्पलेट को दृष्टिगत रख कर 'चेक–लिस्ट' बनाई जा सकती है।

नोट:– स्थानाभाव के कारण अनुलग्नक प्रकाशित नहीं किये जा सके हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली विषयक शासनादेश संख्या–6/2018/256/78–2–2018–42 आई0टी0/2017 टी0सी0, दिनांक 24.04.2018

पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में एन0आई0सी0 के ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय,

चालू अनुबन्ध (Running contract) एवं दर अनुबन्ध हेतु ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने तथा दिनांक 01 सितम्बर, 2017 के उपरान्त इसे बाध्यकारी किये जाने की स्थिति से अवगत कराते हुए स्पष्ट किया गया है कि ई–टेण्डरिंग प्रणाली में नियमों और प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अपितु प्रचलित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग करते हुए टेण्डरिंग की कार्यवाही की जाती है।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–ए–1–864/दस–08–15(1)/86, दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के अनुरूप रू0 1,00,000/– से अधिक मूल्य के सामान/सेवायें टेण्डर आमंत्रित करके क्रय किये जाते हैं और उक्त वित्तीय सीमा से अधिक की सभी निविदायें ई–टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा आमंत्रित की जाती हैं।

प्रश्नगत शासनादेश द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाने निविदाओं के लिए उपर्युक्त वित्तीय सीमा रू0 1,00,000 को बढ़ाकर रू0 10,00,000/– किये जाने का निर्णय लिया गया है। रू0 1,00,000/– से अधिक मूल्य के सामान/सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने की अनिवार्यता वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के अन्तर्गत, पूर्व की भाँति यथावत् रहेगी तथापि रू0 10.00 लाख तक की निविदायें ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। अतएव आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या–1067/78–2–2017–42आई.टी./2017, दिनांक 12 मई, 2017 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें।

शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था का कियान्वयन विषयक शासनादेश संख्या–13/2018/203/18–2 –2018–97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 27–04–2018

शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई– मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किये जाने, जेम (GeM) व्यवस्था के कियान्वयन, जेम पूल एकाउन्ट खोले जाने तथा जेम पोर्टल पर शासकीय विभागों द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु जेम सेल के गठन के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2017 शासनादेश दिनांक 25 अगस्त 2017, शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर 2017 एवं शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर 2017, का सन्दर्भ देते हुए अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से आवश्यक सामग्री/सेवायें क्रय नहीं की जा रही है। यह भी संज्ञान में आया है कि इनमें कई विभाग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा जेम से क्रय करना तो दूर, उनके द्वारा जेम पोर्टल पर अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया

है। वर्तमान में प्रदेश में मात्र 979 प्रायमरी एवं 3567 सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

प्रदेश में कुल 11056 नामित आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं। इन आहरण वितरण अधिकारियों से संबंधित कम से कम एक कार्यालय अवश्य है। उक्त कार्यालयों द्वारा किये जा रहे क्रय का भुगतान कोई अन्य आहरण एवं वितरण अधिकारी नहीं कर सकता है, अर्थात प्रदेश में कम से कम 11056 कार्यालयों में क्रय हेतु जेम पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक है। जेम प्रणाली के अन्तर्गत एक क्रय केन्द्र पर 03 व्यक्तियों की भूमिका होती है– बायर, कन्साइनी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी/ भुगतान प्राधिकर्ता। इनमें बायर एवं कन्साइनी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं परन्तु आहरण एवं वितरण अधिकारी उससे भिन्न व्यक्ति होता है। अतः प्रत्येक क्रय केन्द्र के सापेक्ष कम से कम दो पंजीयन होने से ही समस्त कार्यालयों में जेम के आच्छादन को पूर्ण माना जा सकता है।

प्रश्नगत शासनादेश द्वारा निर्देशित किया गया है कि विभागों/ कार्यालयों/ निगमों/ प्राधिकरणों/ संस्थानों व अन्य इकाईयों से संबंधित प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के सापेक्ष कम से कम दो यूजर (प्रायमरी या सेकेण्डरी) का जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करते हुये जेम पोर्टल से ही आवश्यक सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय एवं अपने विभाग से संबंधित जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रायमरी यूजर/ सेकेण्डरी यूजर की सूचना प्रारूप–1 पर संकलित करते हुये गत माह की 25 तारीख से चालू माह की 24 तक की सूचना प्रारूप–2 पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को चालू माह की अंतिम तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु गठित जेम सेल के कार्मिकों का विवरण, उनके ई–मेल/मोबाइल नम्बर तथा उन्हें आवंटित विभागों की सूची संलग्न की गयी है। साथ ही शासन स्तर के नोडल अधिकारी, श्री रवीश गुप्ता, विशेष सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से उनके कार्यालय दूरभाष संख्या–0522–2239284 एवं मोबाइल नम्बर– 9456922200 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट– स्थानाभाव के कारण संलग्नक प्रकाशित नहीं किया जा सका है।

वर्ष 2016 के पूर्व पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन विषयक शासनादेश संख्या–14/2018/सा–3–312/दस–2018–308/2016 दिनांक, 01.05.2018

वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन के विषय में निर्गत शासनादेश दिनांक 23–12–2016, दिनांक 18–07–2017 एवं दिनांक 04–09–2017 का संदर्भ देते हुए अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 18–07–2017 एवं 04–09–2017 के संदर्भ में शासन से मार्गदर्शन माँगा जा रहा है कि दिनांक 01–01–2016 से संशोधित

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 01–01–2016 से लागू पे–मैट्रिक्स में समवर्ती लेवल में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत/ 30 प्रतिशत से कम न होने की व्यवस्था लागू है अथवा नहीं।

प्रश्नगत शासनादेश द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 18–07–2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04–09–2017 के अनुसार नोशनल रुप में निर्धारित वेतन के आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा के आधार पर करते हुए किया जायेगा परन्तु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23–12–2016, शासनादेश दिनांक 18–07–2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04–09–2017 की व्यवस्थाओं के अधीन दिनांक 01–01–2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 01–01–2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के संगत पे–लेवल में न्यूनतम वेतन के क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम नहीं होगी भले ही सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा पूर्ण पेंशन हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा से कम हो।

यह आदेश दिनांक 01–01–2016 से प्रभावी समझे जायेंगे।

दिनांक 01–01–2016 के पूर्व अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन का दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या–15/2018/सा–3–10/दस–2018/308/2016 दिनांक 01–05–2018

वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अन्तिम आहरित वेतन के नोशनल पुनरीक्षण के आधार पर संशोधित पेंशन के निर्धारण सम्बन्धी संस्तुति के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–38/37/2016 पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए), दिनांक 12 मई, 2017 का प्रस्तर–11 नीचे उद्धृत है :–

'' 11– ये आदेश उन पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 41 के तहत उपर्युक्त भत्ता आहरित कर रहे थे। इन श्रेणियों के पेंशनभोगी इस विभाग के दिनांक 04–08–2016 के का0ज्ञा0सं0–38/37/2016–पी एण्ड पी डब्लू (ए)(ii) में निहित निर्देशों के अनुसार संशोधित पेंशन प्राप्त करने के हकदार बने रहेंगे।

उक्त के प्रश्नगत शासनादेश द्वारा राज्य सरकार के वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–23/2017–सा–3–329/दस–2017–308/2016, दिनांक 18–07–2017 के प्रस्तर–7 के परन्तुक के रुप में अधोलिखित प्रस्तर जोड़े जाने की व्यवस्था की गयी है :–

'' ये आदेश उन पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे, जो राज्य सरकार की सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे। इन श्रेणियों के पेंशनभोगी वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–39/2016–सा–3–323/दस–2016–308/2016, दिनांक 23–12–2016 में निहित निर्देशों के अनुसार संशोधित पेंशन प्राप्त करने के हकदार बने रहेंगे।''

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2
संख्या–3/2018/जी–2–80/दस–2018–59/81
लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल, 2018

विज्ञप्ति
विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रुल्स 1985 के नियम 11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रुल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रुल्स, 1948 के नियम–9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्शयोरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा **वित्तीय वर्ष 2018–2019** में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर **दिनांक : 01 अप्रैल, 2018 से दिनांक 30 जून, 2018 तक 7.6 प्रतिशत (सात दशमलव छः)** प्रतिशत मान्य होगी।

आज्ञा से
संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या–3/2018/1/3/96–का–4–2018, दिनांक 29.03.2018

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, शासन द्वारा सत्र 2018-2019 से 2021-22 के लिए निम्नवत् स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है:-

1. स्थानान्तरण निम्न प्रक्रिया के अनुसार किये जायें:-
   - (क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
   - (ख) प्रोन्नति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
   - (ग) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
   - (घ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
2. जिलों में समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। ऐसे ही समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों को उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। मण्डलीय कार्यालयों व विभागाध्यक्ष कार्यालयों में की गयी तैनाती अवधि को मण्डल में निर्धारित 07 वर्ष की अवधि में नहीं गिना जायेगा।
3. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं, तो एक विभाग में 03 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय किन्तु जिलों व मण्डलों में तैनाती की अवधि को उक्त अवधि में सम्मिलित न माना जाय। जिलों व मण्डलों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग-अलग माना जाय।
4. उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्राविधान लागू नहीं होंगे।
5. प्रत्येक विभाग में उक्त आधारों पर स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के 20 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय। यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो, तो समूह 'क' एवं 'ख' के लिए मा. मुख्य मंत्री जी का एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के लिए मा. विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

http://shasanadesh.up.nic

6. आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायें किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा. विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

7. समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे।

8. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक पूर्ण कर लिये जायें।

9. स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के संबंध में मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा. विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा।

10. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

11. <u>अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत:-</u>

(i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।

(ii) मंदित बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(iii) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iv) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होंगे।

(v) दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(vi) समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल परिवर्तन कर दिया जाय।

(vii) भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की महत्वाकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से संबंधित 08 जिले-चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती व बहराइच में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाय।

(viii) निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यत: स्थानान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जायें।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ix) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ-डेट 31 मार्च को माना जायेगा।

(x) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय।

(xi) समूह 'ग' एवं 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-1 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जायँ।

12. <u>स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-</u>

(i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

(iii) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबंध आई.ए.एस./आई.पी.एस./पी.सी.एस. एवं पी.पी.एस. अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

13. <u>सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:-</u>

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायँ। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।

14. <u>स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश:-</u>

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाय।

15. <u>चार्ज नोट:-</u>

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त, संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अत: स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

16. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

17. यह स्थानान्तरण नीति, जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत् लागू रहेगी। इस नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त मा. मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

h.up.nic.in

माह मार्च, अप्रैल व मई 2018 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र0सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण अवधि	कब से कब तक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
.01.	वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का द्वितीय स्तर पुनश्चर्या प्रशिक्षण	01 सप्ताह	05.03.18 से 09.03.18तक	04
02.	प्रोन्नति से नियुक्त सहायक उप कोषाधिकारियों का प्रशिक्षण	02 सप्ताह	05.03.18 से 16.03.18तक	05
03.	कृषि विभाग के अवर अभियन्ताओं का वित्तीय प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण	01 सप्ताह	05.03.18 से 09.03.18तक	23
04.	कृषि विभाग के अवर अभियन्ताओं का वित्तीय प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण	01 सप्ताह	12.03.18 से 16.03.18तक	21
05.	कृषि विभाग के अवर अभियन्ताओं का वित्तीय प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण	01 सप्ताह	19.03.18 से 23.03.18तक	25
06.	कृषि विभाग के अवर अभियन्ताओं का वित्तीय प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण	01 सप्ताह	26.03.18 से 30.03.18तक	25
07.	लोक सेवा आयोग के कार्मिकों हेतु वित्तीय प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण	01 सप्ताह	09.04.18 से 13.04.18तक	13
08.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्मिकों का वित्तीय प्रबन्धन विषयक प्रशिक्षण	01सप्ताह	16.04.18 से 20.04.18तक	24
09.	कोषागार कार्मिकों का आधारभूत प्रशिक्षण	08 सप्ताह	16.04.18 से 08.06.18तक	38
10.	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्मिकों का वित्तीय प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण	02 सप्ताह	07.05.18 से 18.05.18तक	06
11.	कोषागार कार्मिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण	02 सप्ताह	14.05.18 से 25.05.18तक	16
12.	कोषागार कार्मिकों का कम्प्यूटर पुनश्चर्या प्रशिक्षण	01 सप्ताह	21.05.18 से 25.05.18तक	23
13.	प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का वित्तीय प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण	02 सप्ताह	21.05.18 से 01.06.18तक	12
14.	सहायक कोषाधिकारियों का कम्प्यूटर पुनश्चर्या प्रशिक्षण	03 दिन	28.05.18 से 30.05.18तक	25